



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1159]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2009/श्रावण 2, 1931

No. 1159]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2009/SRAVANA 2, 1931

कृषि मंत्रालय

( पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2009

का.आ. 1825(अ).—पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का 9) की धारा 3ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, भारत में कच्ची, नमक लगी, आचार बनी, चूना लगी तथा सूखी त्वचा और खाल के आयात को विनियमित करने के लिए पशुचिकित्सा प्रमाण-पत्र को अधिसूचित करती है जैसा कि निम्नलिखित शर्तों के साथ अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में निर्धारित किया गया है, नामतः :—

(क) आयात की केवल कोलकाता, चैन्नई, मुम्बई, दिल्ली तथा हैदराबाद के पत्तनों/हवाई अड्डों अथवा विभाग द्वारा अधिसूचित अन्य स्थानों के जरिए अनुमति होगी, जहां पर पशु संगरोध जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) भारत में पहुंचने पर,

(i) सामान तथा दस्तावेजों की क्षेत्रीय अधिकारी/संगरोध अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी;

(ii) जांच के लिए आयातित वस्तु से नमूना लिया जाएगा;

(iii) यदि दस्तावेजों से आवश्यकताओं की पुष्टि नहीं होती है, तो आयात करने वाली एजेंसी की लागत पर पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा उचित कार्यवाई की जाएगी।

अनुसूची

I. आयात के लिए सामान्य सूचना

1. परेषक (नाम और पूरा पता)	2. स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सं. :	दिनांक :
3. परेषिती (नाम और पूरा पता)	4. त्वचा/खाल की प्रजाति : गोपशु/भैंस/भेड़/बकरी/घोड़ा/ऊंट)	
	4.1 मूल देश .....	
5. सक्षम प्राधिकरण	6. लोड करने का स्थान	
5.1 मंत्रालय :		
5.2 विभाग :		
7. मात्रा (शब्दों और अंकों में)	8. ढुलाई का माध्यम :	
7.1 पैकेजों की संख्या		
7.2 चिन्हों की पहचान		
7.3 शुद्ध भार		



9. मूल स्थापना का पता

10. पदनाम :

(नाम और पूरा पता)

11. परेषण की पहचान का ब्यौरा

(किसी कंटेनर की सील संख्या सहित)

**II. स्वास्थ्य सूचना**

अधोहस्ताक्षरी सरकारी पशुचिकित्सक प्रमाणित करता है कि उक्त आयात के लिए सामान्य सूचना में मद 4 में वर्णित उत्पाद निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करता है :-

1. पशुओं से ली गई त्वचा एवं खाल, जोकि स्थापनाओं से आई है, जोकि एन्थेक्स नियंत्रण के लिए संगरोध के अधीन नहीं है।
2. पशुओं से ली गई त्वचा एवं खाल सरकारी पशुचिकित्सक द्वारा पूर्व तथा पोस्टमोर्टम जांच के दौरान एन्थेक्स के कोई चिकित्सीय चिह्न नहीं दर्शाया गया है।

3. यदि भेड़ तथा बकरी के स्रोत से है, खाल और त्वचा :

(i) पशुओं से प्राप्त है जिसे भेड़ चेचक तथा बकरी चेचक से प्रभावित क्षेत्र में नहीं रखा गया है ;

अथवा

(ii) निर्यात करने वाले देश के पशुचिकित्सा प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित एवं अनुमोदित परिसर में भेड़ चेचक तथा बकरी चेचक को नष्ट करने की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया गया है।

4. त्वचा एवं खाल को निम्न में से किसी एक के उपचार से प्रसंस्कृत किया गया है :-

एसिडिक अथवा अल्कलाइन घोल में डुबाकर रासायनिक रूप से उपचार करना/चूना लगाना, यह कम से कम 48 घंटों तक पीएच 11.5 अथवा अधिक पर रखे हुए वाशिंग सोडा (सोडियम कार्बोनेट-  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ) के 4% (डब्ल्यू/वी) घोल/फोर्मिक एसिड घोल (100 किलोग्राम सोडियम क्लोराइड साल्ट- $\text{NaCl}$ ) तथा 12 किलोग्राम फोर्मिक एसिड प्रति 1000 लीटर पानी) के साथ होगा जिसे 48 घंटे तक पी एच 3.0 से नीचे रखा गया है।

अथवा

त्वचा एवं खाल को 2% वाशिंग सोडा (सोडियम कार्बोनेट- $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ) वाला समुद्री नमक (सोडियम क्लोराइड) के साथ कम से कम 28 दिनों तक उपचारित किया गया हो।

अथवा

कमरे के तापमान (20 डिग्री अथवा अधिक) पर कम से कम 20 किलो ग्रे की गामा रेडिएशन की एक खुराक।

5. उत्पाद को एकत्र करने तथा प्रसंस्करण करने के बाद संक्रमण के किसी स्रोत से बचाने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती गई थीं।
6. उपचार के बाद त्वचा एवं खाल को नए, साफ, ताजा पैकिंग सामग्री में पैक किया गया है तथा वह आवश्यक स्वास्थ्यकर आवश्यकताओं को पूरा करती है।

सरकारी मुहर :

हस्ताक्षर

पशुचिकित्सक का नाम तथा पता

जारी किया गया :

स्थान तारीख

पशुचिकित्सा प्रमाण-पत्र 23-10-2009 से प्रभावी होगा।

[फा. सं. 110-3/2008-व्यापार]

अरविन्द कौशल, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF AGRICULTURE**

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th July, 2009

**S.O. 1825(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 3A of the Live-stock Importation Act, 1898 (9 of 1898), the Central Government, hereby notifies the veterinary certificate for regulating the import of raw, salted, pickled, limed and dried skins and hides into India as set out in the Schedule annexed to the notification with the following conditions namely :—



(A) The imports will only be allowed through the ports/airports of Kolkata, Chennai, Mumbai, Delhi and Hyderabad or other places to be notified by the Department, where the animal quarantine inspection facilities are available.

(B) On arrival into India,

(i) the consignment and the documents will be examined by the Regional Officer/Quarantine Officer;

(ii) the samples from the imported item will be taken for examination;

(iii) in case the documents are not conforming to the requirements, appropriate action shall be taken by the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Government of India at the cost of the importing agency.

### SCHEDULE

#### I. General Information for Importation

1. Consignor (name and address in full)	2. Health certificate No.: _____ Date: _____
3. Consignee (name and address in full)	4. Species of Skin/Hide : (Cattle/Buffalo/Sheep/Goat/Horse/Camel)
	4.1 Country of origin .....
5. Competent Authority 5.1 Ministry : 5.2 Department :	6. Place of loading :
7. Quantity ( in words and figures) 7.1 Number of Packages 7.2 Identification of Marks 7.3 Net Weight	8. Mode of Transport :
9. Address of the establishment of origin	10. Designation : (Name and address in full)
11. Consignment identification details (including any container seal numbers) :	

#### II. Sanitary Information

The undersigned Official Veterinarian certifies that the products described in item 4 on the General Information for import above satisfy the following requirements :

1. The skins and hides originate from the animals, which come from the establishments which are not under quarantine for anthrax control.

2. The skins and hides originate from the animals showing no clinical sign of anthrax during ante and post mortem inspection by the official veterinarian.

3. If sourced from sheep and goats, the hides and skins :

(i) come from animals which have not been kept in sheep pox and goat pox infected zone ;

or

(ii) have been processed to ensure the destruction of sheep pox and goat pox virus, in premises controlled and approved by the Veterinary Authority of the exporting country.

4. The skins and hides have been processed by one of the following treatments :—

chemically treating/liming in acidic or alkaline solutions soaking, with agitation in a 4% (w/v) solution of washing soda (Sodium carbonate -  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ) maintained at pH 11.5 or above for at least 48 hours/formic acid solution (100 kg salt Sodium Chloride -  $\text{NaCl}$ ) and (12 kg formic acid per 1,000 liters water) maintained at below pH 3.0 for at least 48 hours.

or

the skins and hides have been treated for at least 28 days with sea salt (Sodium Chloride) containing 2% washing soda (Sodium Carbonate -  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ )

or

gamma radiation at a dose of at least 20 Kilo Gray at room temperature (20 degree or higher).

5. Necessary precautions were taken, after collection and processing, to avoid contact of products with any potential source of infection.

6. The skins and hides after treatment has been packed with new, clean, fresh packing materials and the same satisfies the necessary sanitary hygiene requirements.

Official Stamp:

Signature .....

Name and address of Veterinarian

Issued.....on.....

The veterinary certificate would be effective from 23-10-2009.

[F. No. 110-3/2008-Trade]

ARVIND KAUSHAL, Jt. Secy.